तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नरेन्द्रसिंह किलेदार बनाम लो0सू0अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 86 / 2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021 / 192)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.12.2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: अपील / आरटीआई. / 2021–22 / 339 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 लगा04 में चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) से (4) के अनुसार तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती है। तृतीय पक्ष श्री जगदीश सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.8.2021 प्रस्तुत कर सूचना देने के लिये मना किया गया है। उक्त सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क / सूचना अधि / 2021 / 300 दिनांक 12.08.2021 के जरिये भेजी जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 लगा04 में चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है। तृतीय पक्ष श्री जगदीश सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.8.2021 को प्रस्तुत कर सूचना देने से मना किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) से (4) के अनुसार तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	